तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	18/08/25 को पेश हो	
18/8/25	पत्रावली पेश। बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 29/8/25 को पेश हो।	
29/8/25 उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया की विवादित भूमि खाता संख्या 2 कुल किता 14 रकबा 5.6735 हैक्टेयर भूमि ग्राम रघुनाथपुरा मे स्थित है। उक्त भूमि मे 1/2 हिस्सा कँवरिया व 1/2 हिस्सा भवरलाल का निहित था। भूमियों का बटवारा वर्ष 1957 मे हुआ था। भवरलाल ने अपनी भूमिया वसीयत से वादी (प्रार्थी) के नाम हस्तान्तरित कर दी है। विवादित भूमियो पर सम्पूर्ण रूप से कब्जा प्रार्थी का ही है। कंवरिया जी कोय की सम्पतियो के मालिक हो जाने से उनके 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का नाम दर्ज होना चाहिए था. पर प्रार्थी के साथ अप्रार्थी 1 T. 3 का गलत नाम दर्ज हो जाने से भूमियो को रहन, बैचान पर आमादा है। नामान्तकरण की हमने अपील कर रखी है। जमाबन्दी मे नाम होने से रहन, बैचान करना चाहते है। इनको तफैसला वाद T.I. से पाबन्द किया जावें। खण्डन मे वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया की पूर्व सहखातेदार ने प्रार्थी ओमप्रकाश के नाम वसीयत कर देने से वह 1/2 भूमि का खातेदार है। व हमारे पिता के खाते की भूमि मे विरासत नामान्तकरण से 1/10 हिस्से का पृथक से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड	

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। प्रार्थी द्वारा मिथ्या तथ्यों पर प्रकरण पेश किया है। प्रार्थी हमारे हिस्से की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से खारीज किया जावें।	
	हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। भूमि खाता संख्या-2 मे प्रार्थी 1/2 हिस्से व 1/10 हिस्से का काश्तकार अंकित है।	
	प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय हेतु निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- विवादित भूमि मे प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार भवंरलाल पूर्व खातेदार की वसीयत से दर्ज है व 1/10 हिस्से का खातेदार अपने पिता कवंरया के विरासत नामान्तकरण से दर्ज है। अपने तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किये है, जिससे कवंरया की सम्पूर्ण भूमि पर उसका स्वत्व प्रमाणित हो। उपरोक्त विवेचन अनुसार मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे नहीं बनता है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे नहीं बनने व बिन्दु संख्या 1 में अंकित विवेचनानुसार सुविधा सतुलंन का सिद्धान्त प्रार्थी के हक में नहीं बन रहा है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भांवना :- प्रार्थी विवादित भूमि मे वसीयत से 1/2 हिस्से व विरासत नामा० से 1/10 हिस्से का खातेदार दर्ज होकर काबिज काश्त होने से उसको कोई अपूरणीय क्षति की सभांवना	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त बिन्दुवार निष्कर्ष से मामला प्रथम स्थिति में प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनने, सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में नहीं बनने व प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं होने से प्रकरण प्रार्थी खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	